ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

मिसिल संख्या 2–19/2007(ए.एम.पी.सी.) 31 मई, 2019

विषयः– आई॰आई॰पी॰एम॰, नई दिल्ली के अमान्य दर्जे के बारे में।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के अनुसार इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट (आई॰आई॰पी॰एम॰), 133/4, कुतुब एंक्लेव, फेज–2, नई दिल्ली–16 विश्वविद्यालय नहीं है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 22(3) में निर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने का आई॰आई॰पी॰एम॰ को कोई अधिकार नहीं है।

यह भी सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आई॰आई॰पी॰एम॰ को बी॰बी॰ए॰/एम॰बी॰ए॰/बी॰सी॰ए॰ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं किया है और ना ही मान्यता प्रदान की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.09.2014 में वाद सं॰ 5937/2010 (बी॰ महेश शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य) के अंतर्गत आई॰आई॰पी॰एम॰ को किसी भी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए रोक लगाई है।

रजनीश

(रजनीश जैन)
सचिव